


पृष्ठां.क० 744/को.वा./2020

खंडवा, दिनांक 09 जून, 2020

प्रतिलिपि आदेशानुसार:-

1. विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा अत्यानिवारण अधिनियम, खंडवा।
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1 खण्डवा/हरसूद/पुनासा,
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण खंडवा
5. कलेक्टर, जिला खंडवा।
6. पुलिस अधीक्षक, खंडवा।
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ खंडवा/हरसूद/पुनासा
8. जिला अभियोजन/जिला अभियोजक अधिकारी, जिला खण्डवा।
9. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. श्री आशीष दशोरे, सहा.ग्रेड-3, विशेष न्यायालय, खंडवा।
- श्री इमरान मंसूरी, सहा.ग्रेड-3, द्वितीय व्यव.न्याया.वर्ग-2, खण्डवा।
- की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की संबंधित न्यायालय का कार्यभार संबंधित कर्मचारी से प्राप्त करें।


(वीरेन्द्र एस० पाटीदार)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर,

एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म०प्र०)



कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निगाड़, खण्डवा (म0प्र0)


क्रमांक: 162 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 09 जून, 2020

-:: आदेश ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 571/गोपनीय/2020/दो-2-1/2020 जबलपुर दिनांक 08.06.2020 के पालन में नियमानुसार अतिरिक्त दिशा-निदेश जारी किये जाते हैं:-

1. जिला न्यायालय खण्डवा स्थित समस्त मजिस्ट्रेट/अपर जिला न्यायाधीश महोदय के न्यायालयों में नियत प्रकरणों को कोरेनटाईन अवधि के बाद नियत किये जाते हैं। नियत किये गये प्रकरणों की सूचना न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जावे।
2. मजिस्ट्रेट न्यायालयों के आवश्यक मामलों की सुनवाई श्रीमती सीता कनौजे, प्रथम व्य. न्याया. वर्ग-1, हरसूद द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावे।
3. अपर जिला न्यायाधीशगण के न्यायालयों के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावे।
4. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की आवश्यक नस्तियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत की जावे।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के समस्त लंबित प्रकरणों एवं आवश्यक सुसंगत कार्यवाही हेतु कार्यभार श्री इमरान मंसूरी, सहा.ग्रेड-3, द्वितीय व्य.न्याया. वर्ग-2, खण्डवा को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से सौंपा जाता है।
6. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, खण्डवा के न्यायालय के समस्त लंबित प्रकरणों एवं आवश्यक सुसंगत कार्यवाही हेतु कार्यभार श्री आशीष दशोरे, सहा.ग्रेड-3, विशेष न्यायालय, खण्डवा को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से सौंपा जाता है।
7. यदि मुख्यालय पर कन्टेनमेंट जोन समाप्त होने पर कोई न्यायाधीश उपस्थित हो जाते हैं तो वे न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश की तस्दीक करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय से श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, खण्डवा माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश की तस्दीक करेंगे।


9/6/2020
(वीरेन्द्र एस0 पाटीदार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर,
एवं प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निगाड़, खण्डवा (म0प्र0)